छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | षोडश सत्र | अंक-01

रायपुर, बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2023

(फाल्गुन 10, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत "**वन्दे मातरम्**" एवं राज्यगीत "**अरपा पइरी के धार**" का गायन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

माननीय राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण की प्रथम कंडिका एवं अंतिम कंडिका हिन्दी में पढ़ेंगे । साथ ही कंडिका 2 से 53 अंग्रेजी में पढ़ेंगे तथा अभिभाषण की शेष कंडिकाओं को पढ़ा हुआ माना जायेगा।)

2. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने शासन द्वारा माननीय राज्यपाल के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज किये जाने के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की ।

3. राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण देना प्रारंभ किया ।

4. पृच्छा

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पुनः श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य तथा प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने कथन करते हुये कि शासन द्वारा माननीय राज्यपाल के दायित्वों एवं अधिकारों को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, अतः तत्संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की ।

5. राज्यपाल का अभिभाषण (क्रमशः)

माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया।

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई।)

माननीय राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसरण में सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई।

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम, सदस्य द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए शुक्रवार दिनांक 03 तथा शनिवार 04 मार्च, 2023 की तिथि निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर गुरुवार, दिनांक 02 मार्च, 2023 को मध्याह्न 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई ।

7. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये गुरुवार, दिनांक 02 मार्च, 2023 की तिथि निर्धारित की ।

8. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 के समीप माननीय मंत्रिगणों हेतु नव-निर्मित नवीन-भवन कक्ष का उद्घाटन आज सोमवार, दिनांक 01 मार्च, 2023 को सभा की कार्यवाही स्थगित होने के तुरंत पश्चात् किया जायेगा ।

आयोजित कार्यक्रम एवं उसके पश्चात् ''हाई-टी'' में माननीय सदस्य, पत्रकारगण एवं छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण आमंत्रित हैं ।

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2023 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

1. <u>वित्तीय कार्य</u>

(1) वित्तीय वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन बुधवार दिनांक 1 मार्च, 2023 को तथा इस अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण गुरूवार, दिनांक 2 मार्च, 2023 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक का उपस्थापन सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2023 को मध्यान्ह 12.30 बजे किया जायेगा तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को होगी।

(3) मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023 से बुधवार, 22 मार्च 2023 तक वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

(4) गुरूवार, दिनांक 23 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक से सम्बन्धित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :-

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	2 घंटे 30 मिनट
(2) श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	2 घंटे
(3) श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री	2 घंटे
(4) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री	2 घंटे
(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री	2 घंटे
(6) श्री मोहम्मद अकबर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री	2 घंटे
(7) श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	2 घंटे
(8) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री	1 घंटा
(9) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री	1 घंटा
(10) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री	1 घंटा
(11) श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	1 घंटा
(12) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री	1 घंटा
(13) श्री अमरजीत भगत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री	1 घंटा

2. <u>विधायी कार्य</u>

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 तथा

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा हेतु 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2023 को सभा की बैठक रखी जाकर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तथा दिनांक 13 मार्च, 2023 से 23 मार्च 2023 तक भोजन अवकाश नहीं होगा। साथ ही सभा की कार्यवाही रात्रि 7.00 बजे तक होगी।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 02 मार्च, 2023 (फाल्गुन 11, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा